रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487] नई दिल्ली, शनिवार सितम्बर 29, 1984/आश्विन 7, 1906
No. 487] NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 29, 1984/ASVINA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1984

सा. का. नि. 753(अ) :—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि संघ शासित क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 16 तथा 17 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

[संख्या 3/3/76-एफ(सी)-खंड-2]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th September, 1984

S.O. 753(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union Territory of Arunachal Pradesh shall, subject to the control of the President, exercise the powers of the Central Government under sections 16 and 17 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952).

[No-3|3|76-F (C)-Vol. II]

सा. का. नि. 754(अ) :—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अक्तूबर, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम का भाग 3 संघ शासित क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश में प्रवृत्त होगा ।

[संख्या 3/3/76-एफ(सी)-खंड-2]

विजेन्द्र सिंह जाफा, संयुक्त सचिव

S.O. 754(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1984 as the date on which Part III of the said Act shall come into force in the Union Territory of Arunachal Pradesh.

[No. 3|3|76-F (C)-Vol. II]

VIJENDRA SINGH JAFA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984